**मुन्तकिली प्रकरण सं0 55/2017 अनवानी महावीर प्रसाद पुत्र अर्जन राम जाति कुम्हार निवासी 36 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम 1–उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर 2–ईशीता पुत्री महावीर प्रसाद 3–कर्णवीर पुत्र श्री महावीर प्रसाद जरिये तथाकथित वादमित्र मोहनलाल पुत्र दुलाराम जाति कुम्हार निवासी ठाकर आबादी गली नम्बर 1 अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**03.01.2018**

प्रार्थी के अभिभाषक श्री मोहनलाल माहर उपस्थित है। अप्रार्थी सं0 2 व 3 के वादमित्र के अभिभाषक श्री सुभाष वर्मा उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी महावीर प्रसाद के अभिभाषक का कथन था कि अप्रार्थी सं0 2 व 3 की ओर से श्री मोहन लाल ने तथाकथित वादमित्र की हैसियत से एक वादपत्र संख्या 84/2016 उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया है और साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा तथा प्रापक नियुक्ति के दो प्रार्थना पत्र क्रमशः 65/2016 व 2/2017 प्रस्तुत किये हुए है और उक्त वादपत्र एवं प्रार्थना पत्रों में परिवादी/प्रार्थी की तलबी हो चुकी है। उनका आगे कथन था कि दिनांक 11.02.2017 को विविध प्रार्थना पत्र सं0 2/2017 में प्रार्थी पक्षकार को नोटिस दिये बिना ही उसके अभिभाषक को बुलाकर हस्ताक्षर करवा लिये और सीधे ही जबाब हेतु अन्तिम अवसर रख दिया और अन्य दोनो प्रकरणो में भी न्यायालय ने सीधे तौर पर कहा कि तुम चाहे कुछ कर लो, मैने तो इन प्रकरणो में शीघ्र निर्णय करना है। इस प्रकार प्रार्थी को न्याय मिलने की कतई उम्मीद नही है क्योंकि पीठासीन अधिकारी की कार्यशैली एकतरफा अप्रार्थीगण के पक्ष में है और येन केन प्रकेण अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय करने पर उतारू है। इसलिए न्याय प्रणाली में विश्वास बनाये रखे जाने हेतु प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। अपने कथन के समर्थन में 2014 (1) आरआरटी 516 पेश की। उनका यह भी कथन था कि पीठासीन अधिकारी ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अप्रार्थीगण के आवेदन पत्र दिनांक 11.05.2017 पर एक तरफा तौर पर जांच करवाकर दहेज (DOWRY) का समान देने हेतु 05.06.2017 को आदेश जारी कर दिया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को इसका कोई क्षेत्राधिकार नही था। उनका यह भी कथन था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र में वादमित्र के संबंध में आदेश 22 नियम 5 सीपीसी से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु के प्रश्न का निर्णय जानबुझकर नही किया जा रहा, किन्तु सीधे ही न्याय करने पर उतारू है जिससे भी प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय मिलने की संभावना नही है। उनका आगे यह भी कथन था कि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय न मिलने के संबंध में अपने शपथपत्र भी पेश किये है और यदि उसका प्रकरण स्थानान्तरनण नही किया गया तो उसे इस मुन्तकिली प्रार्थना पत्र के पश्चात उपखण्ड अधिकारी से किसी भी प्रकार से न्याय नही मिल पायेगा चूंकि प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध अविश्वास प्रकट किया गया है। अपने कथन के समर्थन में 2016 (1) आरआरटी 164, 2016 (1) आरआरटी 335 प्रस्तुत कर प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना की है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत अप्रार्थी सं0 2 व 3 के वादमित्र मोहनलाल के अभिभाषक श्री सुभाष वर्मा का कथन था कि अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वादपत्र सं0 84/2016 व दो आवेदन पत्र सं0 65/2016 व 2/2017 प्रस्तुत किये है और उक्त प्रकरणो में प्रार्थी महावीर प्रसाद की उपस्थिति जरिये अधिवक्ता अंकित की गई है और उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र/ मूल राजस्व वाद एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के जबाब हेतु लगभग 9 अवसर दिये जाने के बावजूद भी जबाब पेश नही किया है और दिनांक 16.10.2017 को प्रत्येक मामले में 200रूपये कोस्ट पर जबाब के लिए अन्तिम अवसर दिया गया है। इसलिए प्रार्थी का यह कहना सही नही है कि बिना कोई पक्षकार को नोटिस दिये उसके अभिभाषक के हस्ताक्षर करवा लिये और सीधा ही अन्तिम अवसर दे दिया, सही नही है। उनका आगे कथन था कि पीठासीन अधिकारी ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कोई कृत्य नही किया है केवल नियमो के अन्तर्गत प्रशासन आपके द्वार के दौरान दिनांक 11.05.2017 को प्रार्थना पत्र पर एस.एच.ओ. से कार्यवाही करवाई गई और समान लौटाने का जो आदेश दिया गया है, वह सही दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानो के अन्तर्गत ही कार्यवाही की जा रही है प्रार्थी मिथ्य तथ्यों के आधार पर प्रकरण मुन्तकिल करवाना चाहता है। इसलिए मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली तथा उपखण्ड अधिकारी पदमपुर की टिप्पणी दिनांक 09.11.2017 का अवलोकन किया तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2014(1) आरआरटी 516, 2016(1) आरआरटी 164 एवं 2016(1) आरआरटी 335 का भी ससम्मान अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी, पदमुपर ने अपनी टिप्पणी दिनांक 09.11.17 में अंकित किया है कि उनके न्यायालय में वाद पत्र संख्या 84/2016 ईश्ति आदि बनाम महावीर अन्तर्गत धारा 88–91–92ए आरटीए एवं प्रकरण संख्या 65/2016 व 2/2017 इश्ति आदि बनाम महावीर अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किये गये है। उक्त तीनो प्रकरण प्रतिवादी/अप्रार्थी श्री महावीरद प्रसाद के जबाब के लिए चल रहा है। प्रकरणो में जबाब हेतु अन्तिम मौका देने के बावजूद भी जबाब प्रस्तुत नही किया जा रहा है। यदि उक्त प्रकरणो को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो उन्हें कोई एतराज/आपत्ति नही है। उपखण्ड अधिकारी की उक्त टिप्पणी से एवं पत्रावली में प्रस्तुत उपलब्ध ऑर्डर शीटस वाद सं0 84/2016, विविध प्रा0 पत्र सं0 2/2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी को जबाब हेतु कई अवसर दिये गये है और दिनांक 16.10.2017 की ऑर्डर शीट के अनुसार 200 रूपये की कोस्ट पर भी अन्तिम अवसर दिया गया है। इस प्रकार का यह कथन सही नही है कि जबाब के लिए समय नही दिया गया और सीधा ही अन्तिम अवसर रख दिया गया है।

जहां तक प्रार्थी का यह तर्क कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा दहेज (DOWRY) का समान अप्रार्थीगण को लौटाने का जो आदेश दिया गया है वह क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर एक तरफा तौर पर जांच करवाकर दिया गया है जिससे प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की संभावना नही है। इस सन्दर्भ में मैने पत्रावली में उपलब्ध उपखण्ड मजि0 पदमपुर के आदेश सं0 3638 दिनांक 05.06.17 का अवलोकन किया, जिसमें उसने निम्न प्रकार से अंकित किया है:–

कलैक्टर

"परिवादीगण बंदी महावीर व मृतका सुमिधा के वारिस है चक 36 एलएनपी में उक्त मकान के अलावा परिवादीगण के पिता महावीर को 10 बीघा नहरी भूमि बंटवारा में आई हुई है, जिसमें टयुबैल लगा हुआ है। वर्तमान में उक्त भूमि की काश्त परिवादीगण के ताया अमीलाल कर रहा है। ठेका व हिस्सा के रूपये परिवादीगण को अभी तक नही मिले है। परिवाद में अंकित दहेज का समान व अन्य व्हीकल वगैरा पर परिवादीगण को हक है। अतः आप परिवादीगण को नियमानुसार दहेज का समान व अन्य व्हीकल वगैरा जिस पर परिवादीगण का हक है वह परिवादीगण को सौंप कर पालना रिपोट तीन दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें।"

उपखण्ड मजि0 जो उपखण्ड अधिकारी भी है उनके समक्ष वादग्रस्त भूमि के संबंध में घोषणात्मक राजस्व वाद जिसमें दोनो पक्षकारो का आपस में विवाद है जिनमें अप्रार्थी/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय से स्थाई निषेधाज्ञा, विभाजन की डिक्री, अपने को मालिक घोषित करवाने की प्रार्थना की है, लम्बित है **और उक्त पत्र में विवादग्रस्त भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी द्वारा विवेचन किया गया है। इस सन्दर्भ में प्रार्थी द्वारा प्रा0 पत्र में अंकित तथ्यों के समर्थन में अपना शपथ पत्र भी पेश किया है, जिसके अनुसार निष्पक्ष न्याय नही मिलने की संभावना व्यक्त की है और उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने अपनी टिप्पणी में भी उक्त प्रकरणो को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने में कोई आपति जाहिर नही की है। इसलिए उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2014(1) आरआरटी 516, 2016 (1) आरआरटी 164, 2016 (1) आरआरटी 335 के प्रकाश में प्रार्थी का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र न्याय हित में स्वीकार किया जाना उचित है।**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में लंबित वादपत्र संख्या 84/2016 ईश्ता आदि बनाम महावीर अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं प्रकरण संख्या 65/2016 तथा 02/2017 ईश्ता आदि बनाम महावीर अन्तर्गत धारा 212 आरटीए को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर के न्यायालय में सुनवाई एवं निस्तारण के लिए मुन्तकिल किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर इस आदेश प्राप्ति से 7 दिवस के भीतर भीतर उक्त तीनों प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर को भिजवावे। उपखण्ड आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी पदमपुर व उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 03.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

( ज्ञाना राम )
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर